

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल
की
महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति
की
आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम



विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

की

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति

की

आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम



समिति (सामान्य) अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

2017

विषय सूची

<u>क्रम-संख्या</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ-संख्या</u>
1	प्राक्कथन	क
2	समिति के आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम परिशिष्ट	1-7
(i)	समिति का उद्भव तथा उद्देश्य	8-10
(ii)	उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में समितियों की प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम	11-20
(iii)	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन सम्बन्धी नियम	21
(iv)	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन तथा वर्षवार सभापतियों की सूची	22
(v)	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का विवरण	23-27

क

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश 15वीं विधान सभा की नियम समिति (2007-2008) के प्रथम प्रतिवेदन, जो विधान सभा में दिनांक 19 फरवरी, 2008 के उपवेशन में प्रस्तुत किया गया था, में की गई संस्तुति पर विधान सभा की दिनांक 3 मार्च, 2008 को प्राप्त स्वीकृति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-269-ट के बाद शीर्षक “(त)” तथा उसके अन्तर्गत नये नियम-“269-ठ”, “269-ड” एवं “269-ढ” के अन्तर्गत “महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति” का गठन हुआ जिसे विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1197/वि0स0/प0का0/6(प) 2009, दिनांक 9 सितम्बर, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया। इस समिति में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम-निर्देशित 15 सदस्य एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित 4 सदस्य होते हैं। समिति ने अपनी बैठक दिनांक 2 नवम्बर, 2010 में समिति की इस आन्तरिक कार्य-प्रणाली की नियमावली को अन्तिम रूप दिया जिस पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा का अनुमोदन दिनांक 24 नवम्बर, 2010 को प्राप्त हुआ।

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्यों के उपयोगार्थ समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली का प्रकाशन किया गया है। आशा है मा0 सदस्यों एवं उत्तर प्रदेश शासन के विभागों के लिये भी यह प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा।

लखनऊ :

दिनांक 03 मार्च, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (क) यह नियमावली महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली नियमावली, 2010 कहलायेगी।
- (ख) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

2-परिभाषायें-

इस नियमावली में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "समिति" का तात्पर्य महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति से है।

(ख) "प्रक्रिया नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 से है।

(ग) अन्य शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में उनके लिये अभिप्रेत हैं।

(घ) "सभापति" का तात्पर्य समिति के सभापति से है।

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य से है।

(च) "प्रमुख सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव से है।

(छ) "सचिवालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय से है।

3-समिति के कृत्य-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-269-ड के अनुसार समिति के निम्नलिखित कृत्य हैं :-

- 1-महिला एवं बाल विकास के सिद्धान्त एवं योजना के कार्यान्वयन, नियम, परिनियम, परिपत्र एवं आदेश की समीक्षा करना।
- 2-महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अपने प्रतिवेदन में संस्तुतियां करना।
- 3-महिलाओं एवं बच्चों की विधिक सहायता की समीक्षा करना।
- 4-समिति राज्य में स्थापित उन संस्थानों के कृत्यों एवं अभिलेखों की जांच कर सकेगी, जो राज्य सरकार से महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये किसी भी रूप में अनुदान प्राप्त करती हैं।
- 5-समिति महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित ऐसे अन्य विषयों को भी जांच कर सकेगी जो समय-समय पर उसे अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।
- 6-यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय इस समिति के क्षेत्र में आता अथवा नहीं, तो यह मामला अध्यक्ष, विधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

4-समिति की बैठकों की सूचना-

समिति के सदस्यों को बैठक की तिथि और समय की सूचना बैठक की तिथि से साधारणतया चौदह दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी :

किन्तु यदि समिति की बैठक अल्प समय पर बुलाई जाय तो बैठक की सूचना फैंक्स या अन्य किसी त्वरित संचार साधन के माध्यम से दी जायेगी।

5-समिति की बैठक की गणपूर्ति-

1-समिति का उपवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या से तृतीयांश से अन्यून होगी जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो।

2-समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित किसी समय पर या उपवेशन के दौरान किसी समय पर यदि गणपूर्ति न हो तो सभापति उपवेशन को आधे घण्टे के लिये स्थगित कर देंगे और पुनः समवेत होने पर उपवेशन के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की पंचमांश से अन्यून होगी। यदि पुनः समवेत उपवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के पंचमांश से भी न्यून रहे तो उपवेशन को किसी भावी तिथि के लिये स्थगित कर दिया जायेगा।

6-समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री-

समिति द्वारा चयनित विषयों पर वांछित आख्या सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रूप में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय में प्राप्त करायी जायेगी ताकि उसे समिति के सदस्यों को बैठक से पूर्व उपलब्ध कराया जा सके। यदि उक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपेक्षित आख्या प्रेषित नहीं की जाती है तो प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का यह दायित्व होगा कि वह भेजी जाने वाली आख्या के साथ समिति को विलम्ब के कारणों का विवरण भी प्रेषित करें।

7-समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य-

समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य हेतु शासन के सम्बन्धित विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव उपस्थित होंगे। यदि अपरिहार्य परिस्थितियोंवश वे समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों, तो वे उन कारणों का उल्लेख करते हुये बैठक की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सभापति को उन अपरिहार्य कारणों से अवगत करायेंगे और आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।

8-मौखिक साक्ष्य की प्रक्रिया-

1-सभापति साक्षियों से एक-एक करके प्रश्न पूछेंगे। जो सदस्यगण प्रश्न पूछना चाहें, वे सभापति की अनुमति से प्रश्न पूछ सकेंगे।

2-यदि साक्षी किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल स्पष्ट करने की स्थिति में न हो तो सभापति उसे बाद में यथाशीघ्र लिखित रूप में पूर्ण जानकारी भेजने की अनुमति दे सकते हैं।

3-समिति किसी भी साक्षी को परीक्षणाधीन विषय पर अग्रेतर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पुनः साक्ष्य हेतु बुला सकेगी।

9-बिन्दु जिन पर अग्रेतर जानकारी अपेक्षित हो-

बैठकों के दौरान समिति द्वारा जिन बिन्दुओं पर अग्रेतर कार्यवाही की अपेक्षा की गयी हो, उन्हें शासन के सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा और सभापति के निर्देशाधीन रहते हुये उनके सम्बन्ध में वांछित जानकारी शीघ्र प्राप्त की जायेगी।

10-समिति की कार्यवाहियां-

समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही शब्दशः प्रतिवेदित की जायेगी और उस पर यथाशीघ्र सभापति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

11-कार्यवाहियों की पुष्टि-

समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के साक्ष्य अंशों को पुष्टि हेतु सम्बन्धित साक्षियों के पास यथाशीघ्र इस अनुरोध के साथ भेजा जायेगा कि

वे अपने से सम्बन्धित साक्ष्य अंशों की पुष्टि उसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर करके उन्हें मूलरूप में सचिवालय के समिति-कार्यालय को वापस कर दें। निर्धारित अवधि में साक्ष्य अंश पुष्टि के उपरान्त प्राप्त न होने की दशा में उनका यथा प्रतिवेदित स्वरूप अधिकृत मान लिया जायेगा।

12-साक्ष्यों तथा सूचनाओं को गोपनीय समझा जाना-

समिति को उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं एवं समिति के समक्ष लिये गये साक्ष्य गोपनीय समझे जायेंगे और उसमें निहित विषय वस्तु से सम्बन्धित कोई सूचना समिति के बाहर तब तक नहीं दी जायेगी जब तक सम्बन्धित विषय पर समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत न कर दे।

13-स्थल निरीक्षण की शक्ति-

समिति प्रदेश के जिलों में कार्यरत महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित सभी योजनाओं का स्थलीय एवं अभिलेखीय निरीक्षण स्वयं अथवा अपनी किसी उप समिति के माध्यम से कर सकेगी।

14-सिफारिशों तथा प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार किया जाना और उसका अनुमोदन-

जब किसी विषय की जांच पूर्ण हो जाय तो समिति अपनी सिफारिश तैयार करेगी जिनके आधार पर प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कर उसे सभापति को प्रस्तुत किया जायेगा। तदुपरान्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर समिति की बैठक में विचार किया जायेगा और बैठक में प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

15-प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार के समय बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति का निषेध-

जब समिति प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर रही हो अथवा किसी विषय पर अपना मत अवधारित कर रही हो तो उस समय ऐसा कोई व्यक्ति, जो समिति का सदस्य न हो अथवा समिति से सम्बद्ध विधान सभा सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी न हो, समिति की बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा।

16-प्रतिवेदन में तथ्यात्मक परिवर्तन करने की सभापति की शक्ति-

प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व सभापति समिति द्वारा प्रतिवेदन के अनुमोदित स्वरूप से ऐसी लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटियों का परिमार्जन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

यदि समिति द्वारा प्रतिवेदन अंगीकार करने के बाद तथा अध्यक्ष अथवा सदन में प्रस्तुत करने के पूर्व नई समिति गठित हो जाए तो समिति द्वारा पूर्व अंगीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उसे नवगठित समिति के समक्ष अंगीकार की कार्यवाही हेतु रखा जाएगा।

17-प्रतिवेदन का उपस्थापन-

समिति का प्रतिवेदन विधान सभा में सभापति द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी विधान सभा सदस्य द्वारा तथा विधान परिषद् में समिति के किसी सदस्य द्वारा [प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया हो], दोनों सदनों में, जैसी स्थिति हो उपस्थापित किया जाएगा।

18-प्रतिवेदन का परिचालन-

प्रतिवेदन के दोनों सदनों में उपस्थापना के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र ही उसकी प्रतियां दोनों सदन के सदस्यों एवं शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करायी जाएगी।

19-संस्तुतियों का कार्यान्वयन-

1-शासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होने के तीन माह के भीतर समिति के समक्ष एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें उक्त प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाहियों का विवरण होगा।

2-उपनियम-(1) के अन्तर्गत शासन से विवरण प्राप्त हो जाने के उपरान्त यथाशीघ्र समिति उस पर विचार करेगी और यह विनिश्चय करेगी कि शासन से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह समिति को मान्य है अथवा नहीं। शासन के उत्तर से असहमत होने की दशा में समिति ऐसे विषयों पर अपना

मत स्थिर करेगी। तदुपरान्त सदन को अवगत कराने हेतु समिति सदन में कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी :-

- (क) समिति की ऐसी सिफारिशें जिन्हें शासन ने स्वीकार कर लिया है।
- (ख) समिति की ऐसी सिफारिशें जिन्हें शासन ने यद्यपि स्वीकार न किया हो तथापि उनके सम्बन्ध में शासन से प्राप्त स्पष्टीकरण से समिति संतुष्टि व्यक्त करे।
- (ग) समिति की ऐसी सिफारिशों जिन्हें शासन ने स्वीकार न किया हो, के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त उत्तर पर समिति की अभ्युक्ति।
- (घ) समिति की ऐसी सिफारिशों जिनके विषय में शासन से उत्तर प्राप्त न हुआ हो अथवा अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ हो और पूर्ण उत्तर बाद में भेजे जाने का आश्वासन दिया गया हो, के सम्बन्ध में समिति की अभ्युक्ति।

परिशिष्ट-1

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति का उद्भव तथा उद्देश्य

पन्द्रहवीं विधान सभा में “महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति” का गठन पटल कार्यालय की अधिसूचना संख्या-1197/वि0स0/प0का0/06(प)/2009, दिनांक 9 सितम्बर, 2009 द्वारा विधान सभा के 15 माननीय सदस्यों तथा विधान परिषद् सचिवालय की अधिसूचना संख्या-707/वि0प0-1 समि/08, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के संदर्भ में संख्या-836/वि0स0/प0का0/06(प)/2009, दिनांक 22 फरवरी, 2010 द्वारा विधान परिषद् के 4 माननीय सदस्यों से किया गया है।

बिहार विधान सभा की “महिला एवं बाल विकास समिति” दिनांक 10 अप्रैल, 2003 को तथा आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की “महिला एवं बाल कल्याण समिति” दिनांक 18 जुलाई, 2003 को अध्ययन-भ्रमण पर लखनऊ आई थी और उक्त समितियों ने मा0 अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर से उत्तर प्रदेश विधान सभा में शिष्टाचार भेंट तथा विचार-विमर्श किया था।

मा0 अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उक्त समितियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान उ0 प्र0 विधान सभा में भी उक्त समिति की भांति एक महिला एवं बाल विकास समिति के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति के विचारार्थ रखे जाने के निर्देश दिये थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति के समक्ष उक्त समिति का गठन का प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन था। समिति ने अपनी दिनांक 21 जनवरी, 2008 की बैठक में इस प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकार करते हुये राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया।

विधान सभा सचिवालय उ0 प्र0 संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या-674/वि0स0/संसदीय/12(सं)/2008, दिनांक 4 मार्च, 2008 में

चूंकि उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन विधान सभा के दिनांक 19 फरवरी, 2008 के उपवेशन में उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमवाली, 1958 के नियम-251(क) की अपेक्षानुसार सदन में प्रस्तुत किया गया था और उक्त प्रतिवेदन में नियम समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां दिनांक 03 मार्च, 2008 को उपर्युक्त नियम-251 में प्राविधानित 14 दिन की समाप्ति पर सदन द्वारा स्वीकृत समझी गयीं।

मा0 अध्यक्ष के निदेश के अनुपालन में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ बिहार विधान सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा में महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति का गठन इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिये किया गया है।

उ0 प्र0 में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विभागों में जो कार्य हो रहे हैं उन विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी समीक्षा करना, महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने हेतु उन्हें आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराना, योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम, नियम, परिनियम, परिपत्र एवं आदेश की समीक्षा करना।

महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अपने प्रतिवेदन में संस्तुतियाँ करना, महिलाओं एवं बच्चों को विधिक सहायता की समीक्षा करना।

समिति राज्य में स्थापित संस्थानों के कृत्यों एवं अभिलेखों की जांच कर सकेगी जो राज्य सरकार से महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये किसी भी रूप में अनुदान प्राप्त करती हों,

समिति महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित ऐसे अन्य विषयों की भी जांच कर सकेगी जो समय-समय पर उसे अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे।

यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय इस समिति के क्षेत्र में आता अथवा नहीं, तो यह मामला अध्यक्ष विधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

समिति विधान मण्डल के दोनों सदनों में उपर्युक्त विषयों तथा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये गये विषयों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

परिशिष्ट-II

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में सदन की समितियों की प्रक्रिया से सम्बन्धित सामान्य नियम

200-सदन की समितियों की नियुक्ति-(1) प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी :

परन्तु कोई सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि वे उस समिति में कार्य करने के लिये सहमत न हों।

(2) समिति में आकस्मिक रिक्तिताओं की पूर्ति, यथास्थिति, सदन द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशन करके की जायेगी और जो सदस्य ऐसी रिक्तिताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचित, नियुक्त और नाम-निर्देशित हों उस कालावधि के असमाप्त भाग तक पद धारण करेंगे जिसके लिये वह सदस्य जिसके स्थान पर वे निर्वाचित, नियुक्त अथवा नाम-निर्देशित किये गये हैं, पद धारण करते :

परन्तु समिति की कार्यवाही इस आधार पर न अनियमित होगी और न रुकेगी कि आकस्मिक रिक्तिताओं की पूर्ति नहीं की गयी है।

200-क-समिति की सदस्यता पर आपत्ति-जब किसी सदस्य के किसी समिति में सम्मिलित किये जाने पर, इस आधार पर आपत्ति की जाये कि उस सदस्य का ऐसे धनिष्ट प्रकार का वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है कि उससे समिति द्वारा विचारणीय विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :-

(क) जिस सदस्य ने आपत्ति की हो वह अपनी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले विषयों में प्रस्थापित

सदस्य के आरोपित हित के स्वरूप का, चाहे वह वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो, सुतथ्यतया कथन करेगा,

(ख) आपत्ति का कथन किये जाने के बाद, अध्यक्ष समिति के लिये प्रस्थापित सदस्य को जिसके विरुद्ध आपत्ति की गयी हो, स्थिति बताने के लिये अवसर देगा,

(ग) यदि तथ्यों के सम्बन्ध में विवाद हो तो अध्यक्ष आपत्ति करने वाले सदस्य तथा उस सदस्य से जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी हो, अपने-अपने मामले के समर्थन में लिखित या अन्य साक्ष्य पेश करने के लिये कह सकेगा,

(घ) जब अध्यक्ष ने अपने समक्ष इस तरह दिये गये साक्ष्य पर विचार कर लिया हो, तो उसके बाद वह अपना विनिश्चय देगा जो अन्तिम होगा,

(ङ) जब तक अध्यक्ष ने अपना विनिश्चय न दिया हो, वह सदस्य जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी हो समिति का सदस्य बना रहेगा, यदि वह निर्वाचित या नाम-निर्देशित हो गया हो, और चर्चा में भाग लेगा, किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा, और

(च) यदि अध्यक्ष यह विनिश्चय करे कि जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी है उसका समिति के समक्ष विचाराधीन विषय में कोई वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है, तो उसकी समिति की सदस्यता तुरन्त समाप्त हो जायेगी :

परन्तु समिति की जिन बैठकों में ऐसा सदस्य उपस्थित था उनकी कार्यवाही अध्यक्ष के विनिश्चय द्वारा किसी तरह प्रभावित नहीं होगी।

व्याख्या—इस नियम के प्रयोजनों के लिये सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जन साधारण या उसके किसी वर्ग या भाग के साथ सम्मिलित रूप में या राज्य की नीति के किसी

विषय में न होकर उस व्यक्ति का, जिसके मत पर आपत्ति की जाय, पृथक् रूप से होना चाहिए।

201-समिति का सभापति-(1) प्रत्येक समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा। परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हों तो वे समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों अथवा उनका पद रिक्त हो तो अध्यक्ष उनके स्थान में अन्य सभापति नियुक्त कर सकेंगे।

(3) यदि समिति के सभापति समिति के किसी उपवेशन से अनुपस्थित हों तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के सभापति का कार्य करने के लिये निर्वाचित करेगी।

202-गणपूर्ति-(1) किसी समिति का उपवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या से तृतीयांश से अन्यून होगी जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो।

(2) समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित किसी समय पर या उपवेशन के दौरान किसी समय पर यदि गणपूर्ति न हो तो सभापति उपवेशन को आधे घण्टे के लिये स्थगित कर देंगे और पुनः समवेत् होने पर उपवेशन के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की पंचमांश से अन्यून होगी। यदि पुनः समवेत् उपवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के पंचमांश से भी न्यून रहे तो उपवेशन को किसी भावी तिथि के लिये स्थगित कर दिया जायेगा।

(3) जब समिति उप नियम (2) के अन्तर्गत समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित दो लगातार दिनांकों पर स्थगित हो चुकी हो तो सभापति इस तथ्य को सदन को प्रतिवेदित करेंगे :

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो तो सभापति स्थगन के तथ्य को अध्यक्ष को प्रतिवेदित करेंगे।

(4) ऐसा प्रतिवेदन किये जाने पर, यथास्थिति, सदन या अध्यक्ष यह विनिश्चित करेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाय।

203-समिति के उपवेशनों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना तथा उनके स्थान की पूर्ति- (1) यदि कोई सदस्य किसी समिति के लगातार 3 उपवेशनों से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहें तो ऐसे सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के उपरान्त उस समिति से उसकी सदस्यता अध्यक्ष की आज्ञा से समाप्त की जा सकेगी, और समिति में उनका स्थान अध्यक्ष की ऐसी आज्ञा के दिनांक से रिक्त घोषित किया जा सकेगा।

(2) नियम-200 के उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी उप नियम (1) के अन्तर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति, अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य सदस्य को नाम-निर्देशित करके की जा सकेगी।

प्रथम-स्पष्टीकरण-इस नियम के अधीन उपवेशनों की गणना हेतु लखनऊ से बाहर आयोजित उपवेशनों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

द्वितीय स्पष्टीकरण-यदि कोई सदस्य समिति के उपवेशन में भाग लेने हेतु लखनऊ आये हों, किन्तु उपवेशन में भाग न ले सके हों और लखनऊ आने की लिखित सूचना वह प्रमुख सचिव को उपवेशन की तिथि को ही उपलब्ध करा दें, तो इस नियम के प्रयोजन के लिये उन्हें उक्त तिथि को अनुपस्थित नहीं समझा जायेगा।

204-सदस्य का त्याग-पत्र-कोई सदस्य समिति में अपने स्थान को स्वहस्त-लिखित पत्र द्वारा जो अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, त्याग सकेंगे।

205-समिति की पदावधि-इनमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगी :

परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत निर्वाचित या नाम-निर्देशित समितियां, जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, उस समय तक पद धारण करेंगी जब तक कि नई समिति नियुक्त न हो जाय।

206-समिति में मतदान-समिति के किसी उपवेशन में समस्त प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मताधिक्य से होगा। किसी विषय में मत साम्य होने की दशा में सभापति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

207-उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति-(1) इन नियमों के अन्तर्गत इनमें से कोई भी समिति किन्हीं ऐसे विषयों की जो उसे निर्दिष्ट किये जायं, जांच करने के लिए एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जावेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति के किसी उपवेशन में अनुमोदित हो जायं।

(2) उप-समिति के निर्देश-पत्र में अनुसंधान के लिये विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख होगा। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

208-समिति के उपवेशन-समिति के उपवेशन ऐसे समय और दिन में होंगे जो समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किया जाय :

परन्तु यदि समिति का सभापति सुगमतया उपलब्ध न हो अथवा उनका पद रिक्त हो तो प्रमुख सचिव, उपवेशन का दिन और समय निर्धारित कर सकेंगे।

209-समिति के उपवेशन उस समय हो सकेंगे जब सदन का उपवेशन हो रहा हो-समिति के उपवेशन उस समय हो सकेंगे जब सदन का उपवेशन हो रहा हो :

परन्तु सदन में विभाजन की मांग होने पर समिति के सभापति समिति की कार्यवाहियों को ऐसे समय तक के लिये निलम्बित कर सकेंगे जो उनकी राय में सदस्यों को विभाजन में मतदान करने का अवसर दे सकें।

210-उपवेशनों का स्थान-समिति के उपवेशन, विधान भवन, लखनऊ में किये जायेंगे और यदि यह आवश्यक हो जाय कि उपवेशन का स्थान विधान भवन के बाहर परिवर्तित किया जाय तो यह मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

211-साक्ष्य लेने व पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति-

(1) किसी साक्षी को प्रमुख सचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेजों को पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिये आवश्यक हों।

(2) यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह अपने समक्ष दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे।

(3) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जायेगा और न उसमें रूपान्तर किया जायेगा।

(4) समिति को शपथ पर साक्ष्य लेने और व्यक्तियों को उपस्थित कराने, पत्रों या अभिलेखों के उपस्थापन की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, यदि उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाय :

परन्तु शासन किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इन्कार कर सकेगा कि उसका प्रकट किया जाना राज्य के हित तथा सुरक्षा के प्रतिकूल होगा।

(5) समिति के समक्ष दिया गया समस्त साक्ष्य तब तक गुप्त एवं गोपनीय समझा जायेगा जब तक समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थित न कर दिया जाय :

परन्तु यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह किसी साक्ष्य को गुप्त एवं गोपनीय समझे, जिस दशा में वह प्रतिवेदन का अंश नहीं बनेगा।

212-पक्ष या साक्षी समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है-समिति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता से कराये जाने की अनुमति दे सकेगी। इसी प्रकार कोई साक्षी समिति के समक्ष अपने द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकेगा।

213-साक्षियों की जांच की प्रक्रिया- समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(1) समिति किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाये जाने से पूर्व उस प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को विनिश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जा सकें।

(2) समिति के सभापति, इस नियम के उप नियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जो वह विषय या तत्सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझें।

(3) सभापति समिति के अन्य सदस्यों को एक-एक करके कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिये कह सकेंगे।

(4) साक्षी को समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बात रखने को कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुकी हो और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये आहूत किया जाय तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जायेगा।

(6) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

214-समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर- समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे :

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हों या सुगमतया न मिल सकते हों तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी।

215-उपस्थापन के पूर्व प्रतिवेदन का शासन को उपलब्ध किया जाना- समिति, यदि वह ठीक समझे, तो वह अपने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि को या उसके पूरे किये गये किसी भाग को सदन में उपस्थापित करने से पूर्व शासन को उपलब्ध करा सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन जब तक सदन में उपस्थापित नहीं कर दिये जायेंगे तब तक गोपनीय समझे जायेंगे।

216-प्रतिवेदन का उपस्थापन-(1) समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों, या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हों तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य यदि कोई अभ्युक्ति करें तो अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

(3) सम्बन्धित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

(4) प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा न मत लिये जायेंगे।

217-सदन में उपस्थापन से पूर्व प्रतिवेदन का प्रकाशन या परिचालन-अध्यक्ष, उनसे प्रार्थना किये जाने पर और जब सदन सत्र में न हो समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन या परिचालन का आदेश दे सकेंगे यद्यपि वह सदन में उपस्थापित न किया गया हो। ऐसी अवस्था में प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर उपस्थापित किया जायेगा।

218-प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव देने की शक्ति-(1) समिति को अध्यक्ष के विचारार्थ उस समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझें।

(2) इन समितियों में से कोई अध्यक्ष के अनुमोदन से इन नियमों में सन्निहित उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये प्रक्रिया के विस्तृत नियम बना सकेंगी।

219-प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में निदेश देने की अध्यक्ष की शक्ति-(1) अध्यक्ष समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दे सकेंगे जिन्हें वे उसकी प्रक्रिया और कार्य के संगठन के विनियमन के लिये आवश्यक समझें।

(2) यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य किसी विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति यदि ठीक समझें तो उस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

220-समिति का असमाप्त कार्य-कोई समिति जो सदन के विघटन से पूर्व अपना कार्य समाप्त करने में असमर्थ हो तो वह सदन को प्रतिवेदन देगी कि समिति अपना कार्य समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है। कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो वह नयी समिति को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

221-प्रमुख सचिव, समितियों का पदेन प्रमुख सचिव होगा-प्रमुख सचिव इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त समस्त समितियों के पदेन प्रमुख सचिव होंगे।

222-समितियों के सामान्य नियमों की प्रवृत्ति-किसी विशेष समिति के लिये जब तक अन्यथा विशेष रूप से उपबन्धित न हो इस अध्याय के सामान्य नियम के उपबन्ध सब समितियों पर प्रवृत्त होंगे।

परिशिष्ट-III

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति से सम्बन्धित नियमों का उद्धरण

269-समिति का गठन और उसके कृत्य-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 269-ट के बाद शीर्षक "(त)" तथा उसके अन्तर्गत नये नियम "269-ठ", "269-ड" एवं "269-ढ" को जोड़े जाने की संस्तुति की :-

(क) राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जायेगी जो "महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति" कहलायेगी।

(ख) समिति में सभापति को सम्मिलित करते हुये कुल 19 सदस्य होंगे जिसमें 15 सदस्य विधान सभा के तथा 4 सदस्य विधान परिषद् के होंगे।

(ग) विधान सभा के 15 सदस्यों का नाम-निर्देशित का कार्य अध्यक्ष विधान सभा द्वारा होगा। विधान परिषद् के 4 सदस्यों का नाम सभापति विधान परिषद् निर्देशित करेंगे।

(घ) कोई भी मंत्री उक्त समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जाते हैं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ङ) समिति या उपवेशन पारित करने के लिये न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन तथा
वर्षवार सभापतियों की सूची

वर्ष	सभापति
2009-2010	कु० मीता गौतम
2010-2011	कु० मीता गौतम
2011-2012	रिक्त
09-10-2012	श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा
से	
22-07-2013	
23-07-2013	श्रीमती फसीहा मंजर गजाला लारी
से	
30-06-2015	
01-07-2015 से	श्रीमती आशा किशोर

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों का विवरण

प्रतिवेदन	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
1	2	3
प्रथम प्रतिवेदन	14-2-2011	बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास की चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा पर आधारित प्रतिवेदन।
द्वितीय प्रतिवेदन	9-8-2011	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रथम उप समिति के दिनांक 10 मई, 2010 से 17 मई, 2010 तक वाराणसी, आजमगढ़ मण्डल एवं जनपद बाराबंकी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन।
तृतीय प्रतिवेदन	9-8-2011	बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास की चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन।

1	2	3
चतुर्थ प्रतिवेदन	14-03-2013	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की उप समिति का दिनांक 16 जनवरी, 2013 से 19 जनवरी, 2013 तक पोषाहार निर्माता इकाई हेल्थ केयर इनर्जी फूड प्रा0 लि0 बदलापुर, जौनपुर तथा जनपद वाराणसी एवं जौनपुर में बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन।
पांचवां प्रतिवेदन	14-03-2013	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की प्रथम उप समिति का दिनांक 04 फरवरी, 2013 से 08 फरवरी, 2013 तक जनपद गौतमबुद्धनगर एवं मथुरा स्थित पोषाहार निर्माता इकाइयों के स्थलीय निरीक्षण तथा मेरठ एवं आगरा मण्डल में बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन।
छठवां प्रतिवेदन	27-06-2014	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की उप समिति का दिनांक 16 जनवरी, 2013 से 19 जनवरी, 2013 तक पोषाहार निर्माता इकाई हेल्थ केयर इनर्जी फूड प्रा0 लि0 बदलापुर, जौनपुर तथा जनपद वाराणसी एवं जौनपुर में बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन।

1	2	3
सातवां प्रतिवेदन	27-06-2014	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की प्रथम उप समिति का दिनांक 04 फरवरी, 2013 से 08 फरवरी, 2013 तक जनपद गौतमबुद्धनगर एवं मथुरा स्थित पोषाहार निर्माता इकाइयों के स्थलीय निरीक्षण तथा मेरठ एवं आगरा मण्डल में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन।
आठवां प्रतिवेदन	17-08-2015	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की प्रथम समिति की प्रथम उप समिति का दिनांक 25 अगस्त, 2014 से 30 अगस्त, 2014 तक बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन।
नौवां प्रतिवेदन	25-02-2016	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की प्रथम उप समिति का दिनांक 31 अगस्त, 2015 से 06 सितम्बर, 2015 तक मेरठ एवं मुरादाबाद मण्डल में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन।

1	2	3
दसवां प्रतिवेदन	25-02-2016	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की तृतीय उप समिति का दिनांक 14 सितम्बर, 2015 से 18 सितम्बर, 2015 तक जनपद सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन।
ग्यारहवां प्रतिवेदन	24-08-2016	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की द्वितीय उप समिति का दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 से 20 दिसम्बर, 2015 तक इलाहाबाद एवं मिर्जापुर मण्डल में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन।
बारहवां प्रतिवेदन	22-12-2016	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की पंचम् उप समिति जो दिनांक 18 जनवरी, 2016 से 24 जनवरी, 2016 तक वाराणसी एवं आजमगढ़ मण्डलों में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण पर आधारित प्रतिवेदन।

1	2	3
तेरहवां प्रतिवेदन	22-12-2016	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति की षष्टम् उप समिति का दिनांक 15 मई, 2016 से 19 मई, 2016 तक बरेली मण्डल के साथ जनपद रामपुर एवं हरदोई में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं तथा जिला कारागार के स्थलीय निरीक्षण एवं विभागीय समीक्षा पर आधारित प्रतिवेदन।

